

दैनिक जयन्त

स्थापित : 1979

संस्थापक

स्व0 श्री नरेन्द्र उनियाल

वर्ष-45, अंक 55

कोटद्वार शुक्रवार

16 जून 2023, पृष्ठ-8

गढ़वाल जनपद का प्रथम दैनिक

जयन्त

निर्भीक-निष्पक्ष-जनसरोकार

खबर बड़ी होती है,
अखबार नहीं

दैनिक जयन्त

www.dainikjayantnews.com

कोटद्वार एवं गैरसैण से प्रकाशित डाक पंजीयन यू.ए./पी.ए.ओ.07-2021-23 फोन नं० 01382-222383, मो० नं० 8384897348, 9412081969 e-mail : dainikjayant@rediffmail.com, nagendra.uniyal@gmail.com मूल्य-2 रुपये

बदरीनाथ से लौट रही यात्रियों की बस चमधार में पलटी, 23 घायल, एक गंभीर

श्रीनगर गढ़वाल : त्रिभुजकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर धारी देवी के समीप चमधार में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलट गई। जिसमें बस का परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि 23 अन्य लोगों को हल्की चोटें आई हैं। घायलों में 18 महिलाएं व 6 पुरुष शामिल हैं। बस में कुल 29 यात्री सवार थे। सभी यात्री राजस्थान के जयपुर से चारघाम यात्रा पर आए थे। बदरीनाथ से जयपुर को लौटते हुए यह हादसा हुआ। गुरुवार को दोपहर के समय बदरीनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे राजस्थान जयपुर के यात्रियों की बस के चमधार में ब्रेक फेल हो गए। जिससे बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। स्थिति को देखते हुए चालक ने सूझ-बूझ का परिचय देते हुए बस को मुख्य राजमार्ग से चमधार-देवलगाढ़ मोटर मार्ग की तरफ मोड़ दिया

यहां पर करीब 100 मीटर आगे पहाड़ी से टकरा गई। जिससे बस सड़क पर ही पलट गई। इस दुर्घटना में रोहताश कुमार (32) पुत्र रामकरण प्रजापति निवासी राजगढ़ थाना अलवर गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि 23 अन्य यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति बस का परिचालक है। ब्रेक फेल होने पर बस पलटने से पहले ही वह बस से कूद गया। इस घटना में चालक की सूझ-बूझ से सभी यात्रियों को जान बच गई। घायलों को अस्पताल के डॉक्टरों व कर्मियों की ओर से बेहतर उपचार दिया गया। (एजेंसी)

महापंचायत को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश, टीवी डिबेट व सोशल मीडिया पर रोक

नैनीताल। उत्तरखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी में 15 जून को धार्मिक संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने की जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश विपीन सांधी व न्यायमूर्ति रमेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि इस तरह के मामलों में सरकार सख्ती से विधि अनुसार कार्यवाई करे। साथ ही कहा कि कोई टीवी डिबेट नहीं होगी न ही सोशल मीडिया का उपयोग किया जाएगा। कहा कि जिन लोगों



के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है पुलिस उसकी जांच करे। साथ ही राज्य सरकार इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करे।

बता दें कि एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के सदस्य अधिवक्ता

शाहरुख आलम ने बुधवार को महापंचायत पर रोक लगाने को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। बताया कि उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अवकाश कालीन खंडपीठ के समक्ष अपील की थी। लेकिन सुप्रीम की पीठ से इस याचिका को सुनने से इंकार करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को कहा। जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस याचिका को सुनने की मंजूरी दे दी थी। शाहरुख आलम ने कोर्ट को बताया कि पुरोला की एक

नाबालिग लड़की को दो युवकों द्वारा बहला फुसलाकर भगाने के बाद पुरोला में सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है। हालांकि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके बाद पुरोला से धर्म विशेष की दुकानों को खाली कराया जा रहा है और उन दुकानों के बाहर धार्मिक संगठन ने चेतावनी भरे पोस्टर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आशंका है कि महापंचायत हुई तो वहां धार्मिक संगठनों के नेताओं द्वारा 'हेट स्पीच' दी जा सकती है। जिससे सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है।

ऊखलेत चमासू के जंगल धूं-धूं कर जले

जयन्त प्रतिनिधि। सतपुली : गर्मी बढ़ते ही जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वनों में आग लगने से वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। तहसील सतपुली के ऊखलेत चमासू के जंगलों में गुरुवार की दोपहर भीषण आग लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर दमकल, राजस्व व वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

ऊखलेत चमासू के जंगलों में गुरुवार की दोपहर भीषण आग लग गई। स्थानीय ग्रामीण पूर्व प्रधान चमासू प्रताप सिंह द्वारा आग की सूचना प्रशासन को दी

गई, जिसके बाद राजस्व, वन विभाग व पौड़ी से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। जिसके बाद शाम लगभग पांच बजे तक आग पर काबू पाया गया। इससे पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टाफ व स्थानीय ग्रामीणों ने आग को बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। पूर्व प्रधान चमासू प्रताप सिंह ने बताया कि यह आग आस पास के गांव के ग्रामीण घसेरी में असामाजिक तत्वों द्वारा लगाई गई है। इससे पहले भी असामाजिक तत्वों द्वारा कई बार जंगलों में आग लगाई गई है।

दिल्ली पुलिस से बृज भूषण शरण सिंह को मिली क्लीन चिट

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहलवानों के मामले में चार्जशीट लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। चार्जशीट अपर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में सांसद बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिल गई है।

आपको बता दे कि दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ अप्रैल में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की थी। पहली प्राथमिकी एक नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पाँक्सो) अधिनियम के तहत भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत दायर की गई है।

दूसरी प्राथमिकी वयस्क शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतों की व्यापक जांच पर केंद्रित है और इसमें यौन प्रताड़ना से संबंधित आईपीसी की प्रासंगिक धाराएं लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि पाँक्सो मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिला।

“कैंसर अब लाइलाज नहीं है”

दि **हीलर्स वैलेंटिस**
कैंसर सेंटर, बिजनौर

आपके शहर कोटद्वार

में पहली बार कैंसर का

निःशुल्क परामर्श कैम्प
लगाया जा रहा है। जिसमें

दि **हीलर्स वैलेंटिस**
कैंसर सेंटर, बिजनौर

के कैंसर विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जायेगा।

दिनांक : 17 जून 2023, दिन शनिवार

समय : प्रातः 10 बजे से सांय 03:00 बजे तक

खुशी क्लीनिक हेल्थ केयर सेंटर

स्थान : एस.बी.आई. बैंक निकट दुर्गापुरी चौराहा, कोटद्वार

अधिक जानकारी एवं रजिस्ट्रेशन के लिए सम्पर्क करे

8650555015, 8650555028, 9756183333



IHMS KOTDWAR

17 Years
of Excellence
in Education
ESTD. 2006
ISO 9001-2015 Certified

Institute of Hospitality, Management & Sciences

Admissions Open

100%
JOB ASSISTANCE

“Journey Towards Excellence”

Current Placement

AVAILABLE PROGRAMMES

B.H.M.
4 Years

B.B.A.
3 Years

B.C.A.
3 Years

B.Sc. IT
3 Years

C.H.M.
1 Year

M.B.A.
2 Years



PRIYANSHU RAWAT
WIPRO LIMITED



SAGAR RAWAT
TAJ USHA KIRAN PALACE



NIKITA RAWAT
WIPRO LIMITED



DEEPAK KUMAR DHAUNDIYAL
RAMADA JAIPUR



AJAD
HYATT JAIPUR



AYUSH CHAUDHARI
DIGITAL AGE RETAIL Pvt. Ltd.



MAYANK TIWARI
DIGITAL AGE RETAIL Pvt. Ltd.



MOHD.
MUNAJIR HUSSAIN
DAFFODILL SOFTWARE



HEMANT DIXIT
TAJ HOTELS AND RESORTS



KARTIK
INFLIGHT CATERING, PUNE



SUMIT RAWAT
INFLIGHT CATERING



ANKITA KUNDALIYA
WIPRO LIMITED

Mob.: 7902000023, 8057726863

Balbhadrapur, B.E.L. Road, Kotdwar-246149(UK)

Email: Info@ihms.ac.in, ihmskotdwar1@gmail.com | Web: www.ihms.ac.in

